

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक : 936

दिनांक : 19/11/2019

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर
वृत्त-प्रथम/द्वितीय, जोधपुर,
वृत्त-बीकानेर, उदयपुर, अलवर एवं
कोटा।

विषय :- आवासन मण्डल के ई-ऑक्शन के पश्चात् उपलब्ध अधिशेष आवास/फ्लेट्स का सीलबंद निविदा "नीलामी उत्सव" द्वारा निस्तारण किये जाने बाबत।

जैसा कि विदित है कि प्रदेशभर में राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवासों/फ्लेट्स के निस्तारण हेतु ई-ऑक्शन कार्यक्रम दिनांक 25.11.2019 को समाप्त हो रहा है। ई-ऑक्शन के पश्चात् उपलब्ध अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को माह दिसम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह से सप्ताहिक तौर पर प्रत्येक बुधवार को सीलबंद निविदा "नीलामी उत्सव" द्वारा निस्तारण किये जाने है। नीलामी उत्सव के सफल क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक आवासों/फ्लेट्स का निस्तारण सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से नीलामी कार्यालय स्थल पर निम्नानुसार तैयार की जानी है।

1. नीलामी स्थल की साज-सज्जा से उत्सव जैसी अनुभूति होनी चाहिए।
2. वृत्त/स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों द्वारा नीलामी हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र व प्रिन्टेड लिफाफे उपलब्ध करवाये जायेंगे।
3. कार्यालय में बोलीदाता की सुविधा हेतु एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जावे, जिस पर चिन्हित मण्डल कार्मिक उपलब्ध रहे।
4. व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उचित संख्या में कार्यालय परिसर में बाहर व अन्दर तथा सम्बन्धित आवासीय योजना/अपार्टमेन्ट में भी पर्याप्त संख्या में डिस्पले बोर्ड लगाये जाये।
5. आगन्तुकों के बैठने हेतु कुर्सियों सहित पेयजल एवं जलपान की उचित व्यवस्था की जावे।
6. बोलीदाता को मौका-मुआयना की सुविधा उपलब्ध करवाई जावे।
7. आवासन मण्डल (मुख्यालय) में नागरिक सेवा केन्द्र में कॉल सेन्टर प्रारम्भ किया जावेगा जो कि संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) के अधीन कार्य करेगा।

Yky


आपसे अपेक्षा है कि सीलबंद निविदा "नीलामी उत्सव" हेतु सभी आवश्यक सूचनाएं दिनांक 25.11.2019 तक मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।



(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

11. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियंता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
14. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/(मु.) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
16. उप आवासन आयुक्त, वृत..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
17. आवासीय अभियंता, खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
18. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
19. सहायक निदेशक जनसम्पर्क अधिकारी/नगरीय विकास विभाग, रा.आ.म., जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

